

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 345/2009
संस्थित दिनांक- 29.05.2009

सुगनाबाई पति सुरेश,
आयु-35 वर्ष, जाति-बंजारा,
निवासी-ग्रामक लखप्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.परिवादी

वि रू द्ध

1. रमेश पिता गरमक बंजारा,
आयु-47 वर्ष,
2. दिनेश पिता गरमक बंजारा,
आयु-45 वर्ष,
3. अनिल पिता रमेश बंजारा,
आयु-25 वर्ष,
4. सुनील पिता रमेश बंजारा,
आयु-22 वर्ष,
5. बावलीबाई पति रमेश बंजारा,
आयु-45 वर्ष,
6. समोतिबाई पति दिनेश बंजारा,
आयु-40 वर्ष,
7. विजय पिता दिनेश बंजारा,
आयु-22 वर्ष,
8. राजु पिता दिनेश बंजारा,
आयु-20 वर्ष,
सभी निवासी ग्राम लखनगांव,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

...अभियुक्तगण

परिवादी द्वारा	- श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।
आरोपीगण द्वारा	- श्री एम.एस. सोलंकी अधिवक्ता ।

-: नि र्ण य :-
(आज दिनांक 27/11/2015 को घोषित)

1. परिवादी के परिवाद दिनांक 29.05.09 के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-504, 323 का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी साक्षीगण अभियुक्तों को जानते हैं ।
3. परिवादी का उक्त परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वह ग्राम लखनगांव का निवासी है, अभियुक्तगण उनसे संपत्ति के विवाद के कारण रंजिश रखते हैं । परिवादी का पति आबकारी विभाग में कार्य करता है । दिनांक 03.09.08 को दिन के लगभग 2 बजे वह अपने मकान के आगे के कमरे में बैठी थी, साथ में उसका लड़का विनोद भी था, तभी अभियुक्तगण एक साथ उनके घर के अंदर जबरन घुस गये, उन्हें माँ, बहन की अश्लील गालियाँ दीं, जान से मारने की धमकी दी, अभियुक्तगण ने उसे लात, घूँसों से मारा, जिससे उसे दोनों कंधों, पेट एवं सिर पर चोटे आईं, परिवादी का लड़का विनोद बचाने आया तो अभियुक्तों ने उसके साथ लात, घूँसों से मारपीट की, जिससे उसे हाथ, कमर में चोटे आईं । परिवादी का पति सुरेश बचाने आया तो अभियुक्तों ने उसके साथ भी मारपीट की । अभियुक्तों उनकी 7 हॉर्स पॉवर की मोटर, कपड़े, बर्तन, मक्खन निकालने की मशीन भी उठाकर ले गये और उन्हें मकान छोड़कर जाने के लिये कहा, जान से मारने की धमकी तथा पैर-हाथ काटने की धमकी दी । इस घटना की रिपोर्ट परिवादी ने दिनांक 03.09.08 को ही पुलिस थाना अंजड़ पर की थी, पुलिस ने उनका मेडिकल-परीक्षण कराया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की । इस घटना के एक दिन पूर्व भी अभियुक्तों ने घर में आकर परिवादी के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट भी परिवादी ने की थी, किंतु पुलिस ने अभियुक्तों के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है ।
4. परिवाद के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-504 (दो शीर्ष), 323 (दो शीर्ष) का आरोप लगाये जाने पर अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों के कथन हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, लेकिन अभियुक्तों ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।
5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 02.09.08 को सुबह लगभग 9:00 बजे एवं दिनांक 03.09.08 को दिन में 2:00 बजे के लगभग ग्राम लखनगांव में फरियादिया सुगनाबाई, सुरेश एवं विनोद को लोकस्थान पर अश्लील गालियाँ देकर लोकशांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने के आशय से उन्हें अपमानित कर प्रकोपित किया ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी, उसके पति एवं पुत्र के साथ मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी परिवादी सुगनाबाई (परि.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती है, वे उसके गांव में आमने-सामने रहते हैं। घटना दिनांक 03.05.06 को दिन के 2 बजे की है, वह अपने कमरे में बैठी थी, साथ में उसका लड़का विनोद भी था, अभियुक्त रमेश, दिनेश, अनिल, सुनील, राजु और विजय एकदम से उन्हें मारने के लिये लट्ठ लेकर आये थे, उसे और उसके लड़के को पीठ और हाथ में मारा तथा गर्दन पर भी मारा। उक्त झगड़ा उसके मकान के अंदर घुसकर किया गया, झगड़े के समय उसके पति पीछे कमरे में थे, वे बचाव करने आए तो अभियुक्तों ने उसके पति को भी लट्ठ से मारा, वे लोग रिपोर्ट करने गये थे, पुलिस ने उनका मेडिकल-परीक्षण कराया एवं थाने पर प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखित में की थी, जिस पर उसका अंगूठा निशानी है। उसके पहले थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखायी थी। पुलिस ने रिपोर्ट की नकल प्र.पी.2 की उसे दी थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, इसलिए उसने यह परिवाद लगाया है। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त और वे एक ही परिवार के हैं तथा उनके बीच जमीन एवं मकान का बंटवारा हो गया है। साक्षी ने बाद में बंटवारा होने से इन्कार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके पति की नौकरी भोपाल में है और वे लोग भोपाल में रहते हैं। यह स्वीकार किया कि उसके मकान के पास उसके देवर का मकान है तथा खेती-बाड़ी वे किराये पर देते हैं। थाने पर रिपोर्ट उसने लिखवाई थी, उसमें यह लिखाया था कि अभियुक्तगण लट्ठ लेकर आए थे, यदि यह बात उसकी रिपोर्ट में नहीं लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती है। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि झगड़े के बाद से उनकी अभियुक्तों से बातचीत बंद है, पहले बातचीत होती थी। परिवादी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि झगड़े के बारे में अभियुक्तों ने भी रिपोर्ट लिखायी थी। परिवादी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी अथवा उसने असत्य परिवाद लगाया है।

7. साक्षी सुरेश (परि.सा.2) का कथन है कि परिवादी उसकी पत्नी है तथा ग्राम लखनगांव में उसकी कृषि भूमि है, जो राजस्व अभिलेख में उसके नाम पर दर्ज है। घटना दिनांक 03.09.08 को 2 बजे की है, अभियुक्तगण उसके घर में लकड़ी लेकर घुस गये थे, सभी अभियुक्तों ने उसके साथ गाली गालौज की थी, उसकी पत्नी एवं पुत्र के साथ मारपीट की थी, जिससे विनोद को दोनों हाथ एवं कलाई में चोट आई थी। वह पास वाले कमरे में था, आवाज सुनकर वह गया था तथा पत्नी एवं पुत्र का बीच-बचाव किया था, जिस पर अभियुक्तों ने उसके साथ भी लकड़ी से मारपीट कर गालियां दी थीं। इस घटना की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने थाने पर लिखायी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, इसलिए परिवाद प्रस्तुत किया है। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने स्वीकार किया कि ग्राम लखनगांव में 150 से 200 मकान हैं और उसके घर के आसपास 7-8 मकान हैं, विवाद के समय आसपास के 2-4 लोग आ गये थे, जिनके नाम उसे याद नहीं हैं। परिवादी साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आमने-सामने से विवाद हुआ था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनके साथ गालीगलौज या मारपीट नहीं हुई थी। परिवादी साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका जमीन का विवाद चल रहा है, इसके पूर्व कोई प्रकरण न्यायालय में नहीं चला था और जो प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, उसमें

अभियुक्तगण दोषमुक्त हुए हैं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखायी है अथवा अभियुक्तों ने उसकी पत्नी एवं पुत्र के साथ मारपीट नहीं की थी ।

8. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण परिवादी की ओर से नहीं कराया गया है ।

9. इस प्रकार परिवादी सुगनाबाई स्वयं ने अभियुक्तों द्वारा दिनांक 02.09.08 को सुबह लगभग 9 बजे उसे गाली देकर लोकशांति भंग करने के आशय से अपमानित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं । परिवादी ने दिनांक 02.09.08 को सुबह लगभग 9:00 बजे अभियुक्तों द्वारा उसके साथ मारपीट करने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है तथा उसके साक्षी सुरेश (परि.सा.2) ने भी दिनांक 02.09.08 को सुबह लगभग 9:00 बजे अभियुक्तों द्वारा कोई भी घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं । उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा दिनांक 03.09.08 को दोपहर लगभग 2:00 बजे उन्हें और उनके पुत्र विनोद को लोकशांति भंग करने के आशय से या अन्य कोई अपराध करने के आशय से उन्हें अपमानित करने के संबंध में कोई कथन नहीं है, ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-504 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है । अतः उक्त अपराध से अभियुक्तों को दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

10. जहां तक भा.द.सं. की धारा-323 का अपराध है, वहां परिवादी और उसके साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा उनके साथ लट्ठ से मारपीट किये जाने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन परिवादी ने अपने द्वारा लिखायी गयी प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 की रिपोर्ट न्यायालय में प्रदर्शित की गयी है, प्र.पी.1 की रिपोर्ट फरियादीया ने अभियुक्तों द्वारा उनके साथ लट्ठ से मारपीट करने के संबंध में नहीं लिखायी, जबकि न्यायालय में परिवादी और उसके साक्षी ने अभियुक्तों द्वारा उनके साथ लट्ठ से मारना बताया गया है । परिवादी ने उनका मेडिकल-परीक्षण करने वाले चिकित्सक के कथन भी न्यायालय में नहीं कराये गये हैं तथा घटना का एक आहत विनोद जो कि परिवादी का पुत्र होना बताया है, को भी न्यायालय में साक्ष्य के लिये उपस्थित नहीं रखा, ऐसी स्थिति में परिवादी की लिखित रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.2 तथा न्यायालय कथन में इस संबंध में विरोधाभास हैं कि अभियुक्तों ने किस वस्तु से उनके साथ मारपीट की थी । परिवादी और उसके साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर कई लोग इकट्ठा हो गये थे, लेकिन किसी भी अन्य साक्षी का परीक्षण इस घटना के संबंध में नहीं कराया गया है । परिवादी एवं उसके साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण उनके परिवार के लोग हैं तथा मकान एवं जमीन के बंटवारे को लेकर मध्य विवाद है तथा परिवादी द्वारा पूर्व में की गयी रिपोर्ट के आधार पर ही अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में परिवादी का परिवाद शंकास्पद हो जाता है तथा अभियुक्तों का यह बचाव संभावित प्रतीत होता है कि पुरानी रंजिश के कारण परिवादी ने अभियुक्तों के विरुद्ध यह मिथ्या परिवाद दर्ज कराया है । ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-323 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है । अतः अभियुक्तों को भा.द.सं. की धारा-323 के अपराध से भी दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

11. अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

12. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.